

और वहाँ की सरकार उन लोगों के साथ जो व्यवहार कर रही है, तो राज्य सभा के सदस्य के नाते हम लोगों को यह पूर्ण अधिकार है कि केन्द्रीय सरकार से निश्चित रूप से इसके बारे में पूछें और सत्याग्रहियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी को उसे स्वीकार करना पड़ेगा।

मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ। वहाँ पर जो लोग सत्याग्रह करने जाते हैं जब उन्हें सजा भुगतने के बाद जेल से छोड़ा जाता है तो गुजरात सरकार केवल गुजरात राज्य की सीमा तक ही उनकी जिम्मेदारी लेती है, उसके आगे वह कुछ भी करने को तैयार नहीं है। मैं चाहूँगा कि केन्द्रीय सरकार इस स्थिति को स्पष्ट करे। आज तक यह साधारण नियम माना गया है कि सत्याग्रही की सजा पूरी होने के बाद उस सत्याग्रही को घर तक जाने की व्यवस्था वहाँ की सरकार को करना होता है और इस संबंध में गुजरात की सरकार को भी सत्याग्रहियों को घर तक पहुँचाने का खर्चा देना चाहिये तथा व्यवस्था करनी चाहिये। लेकिन गुजरात की सरकार यह कहती है कि हमें तो अपनी सीमा तक ही निकालने की जिम्मेदारी है। इसलिये केन्द्रीय सरकार को इस विषय पर देखना पड़ेगा कि गुजरात की पुलिस उनके साथ इस तरह का व्यवहार न करे और उन्हें उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था करे।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि गुजरात की पुलिस सत्याग्रहियों के साथ जो अमानुषिक व्यवहार कर रही है, घर में घुस कर अश्रु गैस छोड़ता है, बैरक्स में अश्रु गैस छोड़ती है, इस सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है। इसके परिणाम देशव्यापी होंगे, अगर गुजरात की सरकार से तरह की कार्यवाही को नहीं रोकती

है। केन्द्रीय सरकार को भी यहाँ पर इन सारी चीजों का जवाब देना होगा और इस परिस्थिति को सम्भालने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस लिये मेरा निवेदन है कि गृह मंत्री इस सारी परिस्थिति के संबंध में और आपके आदेश के अनुसार वक्तव्य देकर स्थिति का स्पष्टीकरण करे।

SHRI B. N. ANTANI: Sir, apart from this satyagraha, I, as a Member coming from Kutch, want to draw the attention of the Central Government, through you, to the fact that I have got information from Press reports and otherwise that in the present surveys that is being made about the points which are proposed to be given over to Pakistan, a line is being drawn—this is very serious—‘a line is being drawn’—where, instead of the proposed 317 miles, 420 miles come within that line, which will concede the entire demand of Pakistan to come to the 24th Parallel. I wish that serious attention be drawn to this, investigation be made and let the Prime Minister come before this House and make a statement that I am wrong.

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.00 P.M.

The House adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock—**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN)** in the Chair.

ENQUIRY RE KUTCH SATYAGRAHA

श्री जे० पी० यादव (बिहार): श्रीमान, मेरा एक निवेदन सरकार से आपके द्वारा है और वह यह है कि सरकार कच्छ सत्याग्रहियों पर जवाब दे तो दिल्ली में कच्छ सत्याग्रहियों पर जो पुलिस द्वारा अमानुषिक व्यवहार हुआ है उसका भी जवाब दे। श्रीमती लता खन्ना जो कारपोरेटर लखनऊ की है, उनके साथ पुलिस के एक पदाधिकारी

[श्री जे० पी० यादव]

जो अविनाश चन्द्र हैं, उन्होंने इतनी अभद्र बातें कही हैं, जो शायद सदन में कहने लायक नहीं हैं। साथ ही साथ जो महिला सत्याग्रही थी उनके साथ भी पलिस ने जो मैनहैंडलिंग की है, उसका भी कोई जवाब वही है और खास कर के दिल्ली में संसद के सामने जो लोक सभा के सदस्य श्री हुकम चन्द कछवाय है उनको भी पलिस ने घसिट करके उनके काफी घाव बनाये हैं। मैं चाहूंगा कि इनके सम्बन्ध में भी जवाब दिया जाये।

THE CENTRAL LAWS (EXTENSION TO JAMMU AND KASHMIR) BILL, 1968—Contd.

श्री सید حسین (जमूँ व कश्मीर) :

मैस्टर वॉन्स चहमेन—میں اس ہاؤس میں جناب کی وساطت سے معروضات پیش کرتا ہوں۔ اور جو لاز جمنوں و کشمیر اسٹیٹ میں اپلائی کرنے کے لئے بل پیش ہوا ہے اس کا ویلکم کرتا ہوں۔ یہ قوانین ریاست میں اپلائی ہونے چاہئیں۔ ہم ۱۹۴۷ سے عظیم ہندوستان کا حصہ بنے ہیں۔ میرا مطلب ہے جمنوں و کشمیر کے لوگ - ۱۹۴۷ میں ایک زبردست حملہ ہوا اور اس حملہ میں شیخ محمد عبداللہ جو اس وقت نیشنل کانفرنس کی ایک ہی پارٹی ریاست میں تھی اور کانگریس جماعت کی لائک مائنڈیڈ تھی اس کے قائد کی حیثیت سے جب تک وہ یہاں نہ آئے تب تک طاقت جی نے نہیں مانا اور اب تک فورسز وہاں نہیں پہنچیں۔ اگرچہ مہاراجہ ہری سنگھ یہاں آئے تھے اور انہوں نے فورسز کو

وہاں مدد کے لئے دعوت دی تھی - وہ شیخ عبداللہ جو اس وقت دونیشن تھیوری کے خلاف تھے وہ شیخ عبداللہ جو پاکستان کے حملہ کو حملہ قرار دیتے تھے جنہوں نے سیکریٹی کونسل میں جاکر یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ بات نہیں کرینگے جب تک کہ وہ اکیڈمک ڈیپارٹمنٹ کشمیر کی جو انہوں نے قبضہ میں رکھی ہے واپس نہیں کرتے ہیں - وہ شیخ عبداللہ ۱۹۵۳ سے مکر گئے اپنے راستہ سے بھٹک گئے اور ایک فرسٹریٹیڈ صورت میں انہوں نے کئی بار غلط بیانات دیے -

ریسیلنٹی شیخ عبداللہ دلی آئے تھے اور دلی آنے تک انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہندوستان کی دوستی پاکستان کی دوستی کے علم بردار بن رہے ہیں اور وہ آیمٹی (amity) چاہتے ہیں وہ تاشقند ایگریمنٹ پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب سے وہ یہاں سے واپس چلے گئے ہیں ان کا تون بدل گیا ہے - اور انہوں نے کشمیر کے مابین نواز سہوت جی - ایم - صادق کو غدار تک کہا ہے - وہ جی - ایم - صادق جنہوں نے اس مسلم کانفرنس کو تبدیل کیا جو محض ایک کمیونہٹی کے حق کے لئے لڑتی تھی اس میں ہندو مسلم سکھ اور تمام فرقوں کی شہولیت نہیں تھی اس کو چیلنج